२२.५.१८ पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। पार्टी मय वकील उप० हैं। मूल वाद निर्णित होकर खारिज हो चुका है इसलिये टी.आई. प्रा० पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है अत: मूल वाद के परिपेक्ष में टी.आई. प्रा० पत्र भी खारिज किया जाता है। इस बाबत सम्बन्धित को सूचनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनायागया।

व नकारीलाल

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक